

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित

(A GOVERNMENT OF C.G.UNDER TAKING) (A SUCCESSOR COMPANY OF C S E B)

CIN: U40108CT2003SGC015821

कार्यालय - मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)

विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पूर्व

e-mail : pgtitrg@gmail.com

कर्मोंक : 20 - 02 / पी जी टी आई / अप्रेन्टिसशिप / 284

कोरबा , दिनांक : 07/07/2021

विज्ञापन

अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (Ads amended in 1973 , 1986 & 2014) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021 - 2022 के लिये निम्नलिखित संकायों (Branches) में प्रशिक्षुओं को एक (01) वर्षीय अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण (Apprenticeship Trg) हेतु नियोजित किये जाने हैं जो निम्नानुसार हैं :-

(1) Graduate Apprentice - ग्रेजुएट अप्रेन्टिस :- कुल रिक्तियाँ - 57

कर्मोंक	ब्रॉच का नाम	संवर्ग					मासिक देय प्रशिक्षुवृत्ति
		अनारक्षित	अनु जन जाति	अनु जाति	अ पि वर्ग	रिक्तियाँ	
01	Mechanical	10	07	03	04	24	9000/-
02	Electrical	09	07	03	03	22	
03	Information Technology	00	00	00	01	01	
04	Electronocs & Tele.Comm	01	00	00	01	02	
05	Civil	01	01	01	00	03	
06	Computer Science	01	00	00	01	02	
07	Elect & Elex Engineering	01	01	01	00	03	

(2) Diploma Apprentice - डिप्लोमा अप्रेन्टिस :- कुल रिक्तियाँ - 70

कर्मोंक	ब्रॉच का नाम	संवर्ग					मासिक देय प्रशिक्षुवृत्ति
		अनारक्षित	अनु जन जाति	अनु जाति	अ पि वर्ग	रिक्तियाँ	
01	Mechanical	12	10	03	05	30	8000/-
02	Electrical	12	10	03	05	30	
03	Electronics	01	01	00	01	03	
04	E&E Engineering	01	00	00	01	02	
05	Civil	00	00	00	00	00	
06	Computer Science	01	00	00	01	02	
07	Information & Technology	01	01	00	01	03	

मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)

पी . जी . टी . आई .

छ . रा . विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित कोरबा पूर्व

कमशाः ----2

नियम एवं शर्तें :-

01. आरक्षण :- उम्मीदवारों का चयन विद्युत कम्पनी द्वारा ग्राह्य आरक्षण नियमों का पालन करते हुये किया जावेगा।
 02. चयन प्रक्रिया :- उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्राविण्यता के आधार पर किया जावेगा।
 03. उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड में अस्थाई / स्थाई किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे।
 04. जो उम्मीदवार किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं/कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं हैं।
 05. वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा
 - (a) 10 वीं एवं 12 वीं की अंक सूची की छायाप्रति।
 - (b) अर्हकारी परीक्षा इंजीनियरिंग / डिप्लोमा उत्तीर्ण - अंक सूची की छायाप्रति।
 - (c) अनु. जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ. ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (d) छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
 - (e) National Apprenticeship Training Scheme (NATS) पोर्टल में पंजीकृत संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति
 06. अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (as amended in 1973 , 1986 - 2014) के तथा समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी।
 07. शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के मध्य तीन वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे।
 07. जो उम्मीदवार NATS के पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं किये हैं उन्हें दिनांक 31.07.2021 तक रजिस्टर्ड करना होगा उक्त तिथि के पश्चात रजिस्टर्ड किये आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- नोट :** उम्मीदवार को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) www.mhrdnats.gov.in में रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा।

मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)

पी. जी. टी. आई.

छ. रा. विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित कोरबा पूर्व
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) 495-677